तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बिरमादेवी बनाम राज० सरकार
02/02/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 06/03/26 को पेश हो।
06/03/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 16/3/26 को पेश हो।
16/3/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित अप्रार्थी सं० 4, 5, 6 व 9 बावजूद रजि० तामील हाजिर अदालत नहीं आये अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वादित बहस दिनांक 23/4/26 को पेश होवे।
23/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 29/4/26 को पेश हो।
29/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित बहस हेतु समय चाहा है। पत्रावली वादित बहस दिनांक 4/5/26 को पेश होवे।
4/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वादित आदेश दिनांक 8/5/26 को पेश होवे।
8/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया है पत्रावली नियमानुसार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 38/2023

1. विरमादेवी पत्नि नेतराम जाति गूजर निवासी खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.........प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।
2. श्रीमान भू—प्रबन्ध अधिकारी महोदय भरतपुर।
3. बच्चूसिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जाट निवासी फतेहपुर।
4. कमला पत्नि रणवीर सिंह
5. मीनेश कुमारी पुत्री रणवीर सिंह
6. हीरेश कुमारी पुत्री रणवीर सिंह
7. योगेन्द्र कुमार
8. सतेन्द्र सिंह पुत्रान रणवीर सिंह समस्त जातियान जाट निवासी फतेहपुर।
9. विवेक कुमार पुत्र निहाल सिंह जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन।

....................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,136,128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—08.05.2026**

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111,128,136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 9 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1210/0.16, 1211/0.24, 1215/0.53है0 बाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 1215 का पुराना खसरा नम्बर 1532/1022, एवं खसरा नम्बर 1211 का पुराना खसरा नम्बर 1531/1022 एवं खसरा नम्बर 1210 का पुराना नम्बर 1533/1022 है। उक्त तीनों पुराने खसरा नम्बरों का मूल खसरा नम्बर 1022 था उक्त खसरा नम्बर को तोडकर खसरा नम्बर 1531, 1532, 1533 बनाये गये लेकिन इन तीनों नम्बरों का राजस्व नक्शा एक ही था लेकिन मौके पर उक्त तीनों खसरा नम्बरान के खातेदारान ने उक्त आराजी का आपसी सहमति के आधार पर मनवट के आधार पर बंटवारा कर लिया था तथा उक्त मनवट बंटवारे के आधार पर शान्तिपूर्वक आज तक काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन दौराने सैटलमेंन्ट उक्त नम्बरों से बनाये गये नये नम्बरों की तरमीम राजस्व नक्शे में खिलाफ मौका एवं कानून एवं खिलाफ मनबट विभाजन के कर दी

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

गई है। जहां खसरा नम्बर 1215 जो कि अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 9 का बनाया गया है वहॉ खसरा नम्बर 1210 एवं 1211 जो प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 का है कि कब्जा काश्त है। एवं जहॉ प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 के नम्बर दर्शाये गये है वहॉ अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 9 की कब्जा काश्त है। मुताबिक मौका एवं कब्जा नक्शे में खसरा नम्बरान को दर्शाया जाकर राजस्व नक्शे में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3,7,8 बाबजूद प्रोपर तामील हाजिर नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 21.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं अप्रार्थी संख्या 4,5,6,9 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं होने के कारण दिनांक 16.03.2026 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम फतेहपुर में मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के ख.नं. 1210 का साविक खसरा नम्बर 1022मिन एवं ख.नं. 1211 का साविक खसरा नम्बर 1022मिन. एवं ख.नं. 1215 का साविक खसरा नम्बर 1022मिन. दर्ज रिकार्ड है। बाके ग्राम फतेहपुर में मुताबिक नक्शा लट्ठा के गत साविक खसरा नम्बर 1022 एक ही आकृति बनी हुई है, कोई किसी प्रकार की तरमीम नहीं हो रखी है। दौराने बन्दोबस्त वर्तमान नक्शा शीट में ग्राम फतेहपुर के खसरा नम्बर 1210, 1211, 1215 की अलग–अलग आकृति बनी हुई है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1210/0.16, 1211/0.24, 1215/0.53है0 के पुराने खसरा नम्बर क्रमशः 1533/1022, 1531/1022, 1532/1022 जो कि जमाबंदी में मूल नम्बर 1022 को तोडकर बनाये गये थे। उक्त तीनों साबिक नम्बरों का पुराना नक्शा एक ही था परन्तु प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 9 ने मौके पर मनवट विभाजन कर रखा है। परन्तु दौराने सैटलमेंन्ट बनाये गये नये राजस्व नक्शे में उक्त तीनों खसरा नम्बरों की तरमीम खिलाफ मौका एवं कानून कर दी गई है। जहां खसरा नम्बर 1215 जो कि अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 9 का बनाया गया है वहॉ खसरा नम्बर 1210 एवं 1211 जो प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 का है कि कब्जा काश्त है। एवं जहॉ प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 3 के नम्बर दर्शाये गये है वहॉ अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 9 की कब्जा काश्त है। मुताबिक मौका एवं कब्जा नक्शे में खसरा नम्बरान को दर्शाया जाकर राजस्व नक्शे में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा योग्य अभिभाषक प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, शपथ पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2069–72 एवं जमाबंदी सम्बत् 2075–78 एवं नक्शा ट्रेस साविक खसरा नम्बर 1022 एवं नक्शा ट्रेस हाल खसरा नम्बर 1210, 1211, 1215 का अवलोकन किया गया। पुराने राजस्व नक्शे में उक्त नम्बरों की कोई तरमीम नहीं थी। तहसीलदार उच्चैन द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा राजस्व नक्शे में शुद्धि से संबंधित कोई अभिशंषा नहीं की गई है एवं ना ही उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 9 के द्वारा राजीनामा या मौके के आधार पर राजस्व नक्शे में शुद्धि हेतु सहमति दी गई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अतः आदेश है:-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)